न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

अपील संख्या 12/2019

अपील संख्या 13/2019

गणेश आदि — बनाम — श्री इंडिया रियल लैण्ड आदि

प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन एवं प्राथमिक आपत्ति

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणीयां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 09.04.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा दावा संख्या 224/2014 में पारित प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व अपीलांट की और से धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपीलांट ने स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया। कैवियटकर्ता ने जरिये वकील उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया इसकी नकल वकील अपीलांट को दी गई। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थगन आवेदन एवं प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता कैवियटकर्ता ने तर्क दिया कि अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावा संख्या 224/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 01.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में विचाराधीन वाद संख्या 224/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 15.10.2018 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने व विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति या एतराज नही होने पर दिनांक 01.02.2019 को अंतिम डिक्री पारित की गयी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2019 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा अलग–अलग खसरा नम्बरान कायम होकर अलग अलग खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। अपीलांट ने माननीय न्यायालय हाजा में अपील इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी से भूखण्डों के रूप में विभिन्न 2 दिनांकों में भूखण्ड क्रय किये है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में इन्हे पक्षकार नही बनाया गया जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव पर कोई आक्षेप अपील मेमों में नही है यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से भूखण्डो के रूप में भूमि क्रय की है जिसका नामान्तरण होना संभव नही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के पश्चात अपीलांट के विक्रेता/रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 461/2 रकबा 0.2444 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140/462/3 रकबा 0.0298 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140/462/8 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7468 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित हो चुकी है जिसमें से अपीलांट अपने भूखण्डों का बंटवारा करवाने व विचारण न्यायालय में बंटवारा का वाद रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु अपीलांट को प्रस्तुत अपील पेश करने का न तो लोकस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
डीडवाना

रटेण्डाई है न ही खातेदार न होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। अत अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी व प्रतिवादीगण ने दुरभि संधि कर डिक्री प्राप्त की है। अपीलांट ने प्लाट खरीदा है अपीलांट हितबद्व पक्षकार है धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर स्थगन दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही है। अपीलांट ने प्रतिवादी से उसके हिस्से में से प्लाट क्रय किया है। अपीलांट अपने विक्रेता के हिस्से में आई भूमि में से भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने खातेदारों के मध्य विभाजन होकर प्राथमिक व अन्तिम डिक्री जारी हुई है। विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का लोकस नही पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावा संख्या 224/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.2018 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 01.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ में विचाराधीन वाद संख्या 224/2014 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 15.10.2018 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने व विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति या एतराज नही होने पर दिनांक 01.02.2019 को अंतिम डिक्री पारित की गयी है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 01.02.2019 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा अलग–अलग खसरा नम्बरान कायम होकर अलग अलग खातेदारी प्राप्त हो चुकी है। अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांचौर

ने माननीय न्यायालय हाजा में अपील इन अभिकथनो के साथ प्रस्तुत की है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी से भूखण्डों के रूप में विभिन्न 2 दिनांकों में भूखण्ड क्रय किये है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में इन्हे पक्षकार नही बनाया गया जबकि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव पर कोई आक्षेप अपील मेमों में नही है यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से भूखण्डो के रूप में भूमि क्रय की है जिसका नामान्तरण होना संभव नही है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के पश्चात अपीलांट के विक्रेता/रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 461/2 रकबा 0.2444 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140/462/3 रकबा 0.0298 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4140/462/8 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.7468 हैक्टेयर की खातेदारी अंकित हो चुकी है जिसमें से अपीलांट अपने भूखण्डों का बंटवारा करवाने व विचारण न्यायालय में बंटवारा का वाद रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु अपीलांट को प्रस्तुत अपील पेश करने का न तो लोकस रटेण्डाई है न ही खातेदार न होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट को लोकस स्टेण्डई नही होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

9.4.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर